# हिमाचल प्रदेश सरकार, गृह विभाग

संख्याः होम बी(बी) 3-4/95-II तारीख, शिमला-2, 16-09-2019

## अधिसूचना

हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल, भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शिक्तयों का प्रयोग करते हुए, हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग के परामर्श से, हिमाचल प्रदेश अग्निशमन सेवाएं विभाग में उप अग्निशमन अधिकारी, वर्ग-III(अराजपत्रित) अलिपिकवर्गीय, के पद के लिए इस अधिसूचना से संलग्न उपाबन्ध-"क" के अनुसार भर्ती और प्रोन्नित नियम बनाते हैं, अर्थात् :-

- संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ। 1.(i) इन नियमों का संक्षिप्त नाम हिमाचल प्रदेश अग्निशमन सेवाएं विभाग, उप अग्निशमन अधिकारी, वर्ग-III (अराजपत्रित), अलिपिकवर्गीय भर्ती और प्रोन्नित नियम, 2019 हैं।
  - (ii) ये नियम, राजपत्र, (ई-गजट) हिमाचल प्रदेश में प्रकाशित किए जाने की तारीख से प्रवृत्त होंगे ।
- निरसन और व्यावृतियां। 2.(i) अधिसूचना संख्याः होम बी(बी) 3-4/95 तारीख 20.9.2002 द्वारा अधिसूचित और समय-समय पर यथासंशोधित हिमाचल प्रदेश अग्निशमन सेवार्ये विभाग, उप अग्निशमन अधिकारी वर्ग-III, (अराजपत्रित) भर्ती एवंम् प्रोन्नित नियम, 2002 का एतद्द्वारा निरसन किया जाता है।

(ii) ऐसे निरसन के होते हुए भी, उपर्युक्त उप नियम 2(1) के अधीन इस प्रकार निरसित सुसंगत नियमों के अधीन की गई कोई नियुक्ति, बात या कार्रवाई इन नियमों के अधीन विधिमान्य रूप में की गई समझी जाएगी ।

> आदेश द्वारा, हस्ताक्षरित/– अतिरिक्त मुख्य सचिव ( गृह ) हिमाचल प्रदेश सरकार ।

पृ०संख्या होम बी(बी) 3-4/95-II तारीख शिमला-2 16-09-2019 प्रतिलिपि निम्नलिखित को प्रेषित है :-

- 1 समस्त प्रशासनिक सचिव, हिमाचल प्रदेश सरकार ।
- 2 अतिरिक्त विधि परामर्शी एवं अतिरिक्त सचिव (विधि) हिमाचल प्रदेश सरकार।
- 3 सचिव, हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग शिमला-2 को 2 कापियों के साथ प्रेषित है।
- 4 निदेशक अग्निशमन सेंवायें हिमाचल प्रदेश शिमला-1 को 5 अतिरिक्त प्रतियों सहित।
- 5 नियन्त्रक हिमाचल प्रदेश मुद्रण एवं लेखन सामग्री विभाग हिमाचल प्रदेश शिमला-5 को असाधारण राजपत्र में प्रकाशन हेतु 1
- 6 गार्ड फाईल ।

हस्ताक्षरित/– विशेष सचिव (गृह) हिमाचल प्रदेश सरकार दुरभाष न०२८८०७७५

# हिमाचल प्रदेश अग्निशमन सेवाएं विभाग में उप अग्निशमन अधिकारी, वर्ग-III (अराजपत्रित) के पद के लिए भर्ती और प्रोन्नित नियम

1.	पद का नाम :	उप अग्निशमन अधिकारी	
2.	पद की संख्या :	32 (बतीस)	
3.	वर्गीकरणः	वर्ग-III (अराजपत्रित) अलिपिकवर्गीय	
4.	वेतनमानः	(i) नियमित पदधारियों के लिए पे बैंडः	
		10300-34800/- रुपए जमा 3600/-	
		ਣਾਪਾ ਗ਼ੇਤ ਧੇ	
		(ii) संविदा पर नियुक्त कर्मचारियों के लिए	
		उपलब्धियाः	
		स्तंभ संख्या 15-क में दिए गए ब्यौरे के	
		अनुसार १३,९००/- रूपए प्रतिमास ।	
5.	चयन पद अथवा	अचयन पद ।	
	अचयन पद :		
6.	सीधी भर्ती के	18से45 वर्ष।	
	लिए आयुः		

परन्तु सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए ऊपरी आयु सीमा, तदर्थ या संविदा के आधार पर नियुक्त व्यक्तियों सहित, पहले से ही सरकार की सेवा में रत अभ्यर्थियों को लागू नहीं होगी :

परन्तु यह और कि यदि तदर्थ या संविदा के आधार पर नियुक्त किया गया अभ्यर्थी इस रूप में नियुक्ति की तारीख को अधिक आयु का हो गया हो, तो वह तदर्थ या संविदा के आधार पर की गई नियुक्ति के कारण विहित आयु में शिथिलीकरण का पात्र नहीं होगा :

परन्तु यह और कि अनुसूचित जातियों / अनुसूचित जनजातियों/अन्य पिछड़े वर्गों और व्यक्तियों के अन्य प्रवर्गों के लिए ऊपरी आयु सीमा में उस विस्तार तक शिथिलीकरण किया जाएगा जितना की हिमाचल प्रदेश सरकार के साधारण या विशेष आदेश (आदेशों) के अधीन अनुक्लेय हैं:

परन्तु यह और भी कि पब्लिक सेक्टर, निगमों तथा स्वायत्त निकायों के सभी कर्मचारियों को, जो ऐसे पब्लिक सेक्टर, निगमों तथा स्वायत्त निकायों के प्रारम्भिक गठन के समय ऐसे पब्लिक सेक्टर, निगमों / स्वायत्त निकायों में आमेलन से पूर्व सरकारी कर्मचारी थे, सीधी भर्ती के लिए आयु सीमा में ऐसी ही रियायत अनुज्ञात की जाएगी, जैसी सरकारी कर्मचारियों को अनुज्ञेय है, ऐसी रियायत, तथापि पब्लिक सेक्टर निगमों / स्वायत्त निकायों के ऐसे कर्मचारिवृन्द को अनुज्ञय नहीं होंगी, जो पश्चात्वर्ती ऐसे निगमों / स्वायत्त निकायों द्वारा नियुक्त किए गए थे / किए गए हैं और उन पब्लिक सेक्टर निगमों / स्वायत्त निकायों के प्रारम्भिक गठन के पश्चात् ऐसे निगमों / स्वायत्त निकायों की सेवा में अन्तिम रूप से आमेलित किए गए हैं / किए गए थे :

टिप्पणः (1) सीधी भर्ती के लिए आयु सीमा की गणना उस वर्ष के प्रथम दिवस से की जाएगी, जिसमें कि पद (पदों) को आवेदन आमिन्त्रित करने के लिए, यथास्थिति, विज्ञापित किया गया है या नियोजनालयों को अधिसूचित किया गया है।

7. सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्ति (व्यक्तियों) के लिए अपेक्षित न्यूनतम शैक्षिक और अन्य अर्हताएं :

## (क) अनिवार्य अर्हताएं

(i) किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से विज्ञान स्नातक या किसी ट्रेड में इंजनीयरिंग स्नातक (बी०ई०) की उपाधि।

(चयन के पश्चात् अभ्यर्थी राज्य अग्निशमन प्रशिक्षण केन्द्र से बुनियादी अग्निशमन कोर्स को करने के पश्चात् राष्ट्रीय अग्निशमन सेवा महाविद्यालय नागपुर से उप-अग्निशमन अधिकारी कोर्स करेगा)

(ii) न्यूनतम शारीरिक मापदण्डः-लम्बाई – १६५ सेंटीमीटर छाती – ८०सेंटीमीटर ( फुलाकर ८५ सेंटीमीटर तक) वजन – ५२ किलोग्राम दृष्टि – ६/६ बिना चश्में के ।

(iii) **शारीरिक दक्षताः—** क 15 सैकेण्ड में 100मीटर की दौड़। ख ऊंची कूद 120 सेंटीमीटर ग लम्बी कूद 3 मीटर,60 सेटींमीटर ।

		घ 3 मिनट में 800 मीटर दौड़ ।
		(ख) वांछनीय अर्हता(एं):
		हिमाचल प्रदेश की रुढ़ियों, रीतियों
		और बोलियों का ज्ञान और प्रदेश में
		विद्यमान विशिष्ट दशाओं में नियुक्ति
		के लिए उपयुक्तता ।
8.	सीधे भर्ती किए	आयुः लागू नहीं ।
	जाने वाले व्यक्ति	शैक्षिक अर्हताः हां, जैसी निम्न स्तम्भ
		संख्या ११ के सामने विहित किया गया
	विहित आयु और	
		61
	शैक्षिक अर्हताएं	
	प्रोन्नत व्यक्ति	
	(व्यक्तियों) की दशा	
	में लागू होंगी या	
	नहीं :	
9.	परिवीक्षा की	(i) सीधी भर्ती की दशा में:
	अवधि, यदि कोई	क) दो वर्ष, जिसका एक वर्ष से अनधिक
	हो :	ऐसी और अवधि के लिए, विस्तार किया
		जा सकेगा, जैसा सक्षम प्राधिकारी विशेष
		परिस्थितियों में और कारणों को लिखित
		मे अभिलिखित करके आदेश दे।
		ख) संविदा के आधार पर, सेवाधृति के
		आधार पर नियुक्ति पर, अधिवर्षिता के
		पश्चात् पुनर्नियोजन पर और आमेलन पर
		कोई परिवीक्षा नहीं होगी ।
		(ii) प्रोन्नति की दशा में: कोई परिवीक्षा
		नहीं होगी।
1 0	भर्ती की पद्घतिः	i) पचहतर प्रतिशत प्रोन्नति द्वारा; और
	भर्ती सीधी होगी	ii) पच्चीस प्रतिशत सीधी भर्ती द्वारा
	या प्रोन्नति/	यथास्थिति, नियमित आधार पर या
	सैकेण्डमैंट,	संविदा के आधार पर भर्ती द्वारा ।
	स्थानान्तरण द्वारा	तावया वर जावार वर जता क्षारा ।
	और विभिन्न	
	पद्घतियों द्वारा भरे	
	जाने वाले पद	
	(पदों) की	
	` _ '	
	प्रतिशतताः	

1 1 प्रोन्नति/सैकेंण्डमैंट, स्थानान्तरण द्वारा भर्ती की दशा में वे श्रेणियां (ग्रेड) जिनसे प्रोन्नति/सैकेंण्डमैंट, स्थानान्तरण किया जाएगाः

अग्रणी फायरमैनों में से प्रोन्नति द्वारा जिन्होंने राष्ट्रीय अग्निशमन सेवा महाविधालय नागपुर से उप-अग्निशमन अधिकारी कोर्ष अर्हित किया हो और जिनका तीन वर्ष का नियमित सेवाकाल या ग्रेड में की गई लगातार तदर्थ सेवा, यदि कोई हो, को सम्मिलित करके तीन वर्ष का नियमित सेवाकाल होः परन्तु उप-अग्निशमन अधिकारी के

परन्तु उप-अग्निशमन अधिकारी के पदों को भरने के लिये निम्नलिखित चार (04) बिन्दु पद आधारित रोस्टर का अनुसरण किया जाएगाः

रोस्टर बिन्दु संख्या	प्रवर्ग
पहला, दूसरा, तीसरा	प्रोन्नत व्यक्ति
चौथा	सीधी भर्ती

टिप्पणः रोस्टर, प्रत्येक चौथे बिन्दु के पश्चात् तब तक दौहराया जाता रहेगा जब तक कि समस्त प्रवर्गो को दी गई प्रतिशतता तक प्रतिनिधित्व प्राप्त नहीं हो जाता तत्पश्चात रिक्ति को उसी प्रवर्ग में से भरा जाएगा, जिसमें पद रिक्त हुआ हो।

(I) परन्तु प्रोन्नति के प्रयोजन के लिए प्रत्येक कर्मचारी को, जनजातीय /कठिन/दुर्गम क्षेत्रों और दूरस्थ/ग्रामीण क्षेत्रों में पद (पदों) की ऐसे क्षेत्रों में प्रयाप्त संख्या की उपलब्धता के अध्यधीन, कम से कम एक कार्यकाल तक सेवा करनी होगी:

परन्तु दूरस्थ/ ग्रामीण क्षेत्र में <u>तैनाती/स्थानातरण</u> के सिवाय उपर्युक्त परन्तुक (1) उन कर्मचारियों के मामले में लागू नहीं होगा जिनकी अधिवर्षिता के लिए पांच वर्ष या उससे कम की सेवा शेष रही हो। तथापि पाँच वर्ष की यह शर्त प्रोन्नति के मामलों में लागू नहीं होगीः

परन्तु यह और भी कि उन अधिकारियों कर्मचारियों को, जिन्होने जनजातीय/कठिन/दुर्गम क्षेत्रों में कम से कम एक कार्यकाल तक सेवा नहीं की है, ऐसे क्षेत्र में उसके अपने संवर्ग (काडर) में सर्वथा वरिष्ठता के अनुसार स्थानान्तरित किया जाएगा ।

स्पष्टीकरण-I उपरोक्त परन्तुक(I) के लिए जनजातीय/किठन/दुर्गम क्षेत्रों और <u>दूरस्थ</u>/ <u>ग्रामीण</u> क्षेत्रों में ''कार्यकाल'' से प्रशासनिक आत्यावश्यकताओं/सुविधा को ध्यान में रखते हुए साधारणतय तीन वर्ष की अविध या ऐसे क्षेत्रों में तैनाती की इससे कम अविध अभिप्रेत होगी । स्पष्टीकरण-II उपरोक्त परन्तुक(I) के प्रयोजन के लिए जनजातीय/किठन क्षेत्र निम्न प्रकार से होंगें:-

- 1. जिला लाहौल एवं स्पिति।
- 2. चम्बा जिला का पांगी और भरमौर उपमण्डल ।
- 3. रोहडू उपमण्डल का डोडरा क्वार क्षेत्र।
- 4. जिला शिमला की रामपुर तहसील का पन्द्रह बीस परगणा, मुनीष, दरकाली और काशापाट।
- 5. कुल्लू जिला का पन्द्रह बीस परगना।
- 6. कांगडा जिला के बैजनाथ उप-मण्डल का बड़ा भंगाल क्षेत्र।
- 7. जिला किन्नीर।
- 8. सिरमौर जिला में उप-तहसील कमरउ के काठवाड़ और कोरगा पटवार वृत्त, रेणुकाजी तहसील के भलाड़-भलौना और सांगना पटवार वृत्त और शिलाई तहसील का कोटा पाब पटवार वृत्त ।
- 9. मण्डी जिला में करसोग तहसील का खन्योल-बगड़ा पटवार वृत्त, बाली चौकी उप-तहसील के गाडा गोसाई, मठ्यानी, घनयाड़, थाची, बागी, सोमगाड़ और खोलानाल पटवार वृत्त, पद्धर तहसील के झारवाड़, कुटगढ़, ग्रामन, देवगढ़, ट्रैला, रोपा, कथोग, सिल्ह-भडवानी, हस्तपुर, घमरेड और भटेढ़ पटवार वृत्त, थुनाग तहसील के चियुणी, कालीपार, मानगढ़, थाच-बगड़ा, उत्तरी मगरू और दक्षिणी मगरू पटवार वृत्त और सुन्दर नगर तहसील का बटवाड़ा पटवार वृत्त।

स्पष्टीकरण-III: उपर्युक्त परन्तुक (I) के प्रयोजन के लिए <u>दूरस्थ/ग्रामीण</u> क्षेत्र निम्न प्रकार से होंगे:-

- (i) <u>उप-मण्डल/तहसील</u> मुख्यालय से 20 किलोमीटर की परिधि से परे के समस्त स्थान।
- (ii) राज्य मुख्यालय और जिला मुख्यालय से 15 किलोमीटर की परिधि से परे के समस्त स्थान जहाँ के लिए बस सेवा उपलब्ध नहीं है। और तीन किलोमीटर से अधिक की पैदल यात्रा करनी पडती है।
- (iii) कर्मचारी का, उसके प्रवर्ग को ध्यान में लाए बिना, अपने गृहनगर या गृहनगर क्षेत्र के साथ लगता 20 किलोमीटर की परिधि के भीतर का क्षेत्र।
- (II) प्रोन्नित के सभी मामलों में पद पर नियमित नियुक्ति से पूर्व, सम्भरक (पोषक) पद पर की गई लगातार तदर्थ सेवा, यदि कोई हो, इन नियमों में यथा विहित सेवाकाल के लिए, इस शर्त के अध्यधीन प्रोन्नित के लिए गणना में ली जाएगी, कि सम्भरक (पोषक) प्रवर्ग में तदर्थ नियुक्ति / प्रोन्नित भर्ती और प्रोन्नित नियमों के उपबन्धों के अनुसार चयन की उचित स्वीकार्य प्रक्रिया को अपनाने के पश्चात् की गई थी:
  - (i) परन्तु उन सभी मामलों में, जिनमें कोई कनिष्ठ व्यक्ति सम्भरक (पोषक) पद में अपने कुल सेवाकाल (तदर्थ आधार पर की गई सेवा सहित, जो नियमित सेवा/ नियुक्ति के अनुसरण में हों) के आधार पर उपयुक्ति निर्दिष्ट उपबन्धों के कारण विचार किए जाने का पात्र हो जाता है, वहां उससे वरिष्ठ सभी व्यक्ति अपने-अपने प्रवर्ग/पद/काडर में विचार किए जाने के पात्र समझे जाएंगे और विचार करते समय कनिष्ठ व्यक्ति से ऊपर रखे जाएंगे:

परन्तु यह और कि उन सभी पदधारियों की, जिन पर प्रोन्नित के लिए विचार किया जाना है, की कम से कम तीन वर्ष की न्यूनतम अहर्ता सेवा या पद के भर्ती और प्रोन्नित नियमों में विहित सेवा, जो भी कम हो, होगी:

परन्तु यह और भी कि जहां कोई व्यक्ति पूर्वगामी परन्तुक की अपेक्षाओं के कारण प्रोन्नित किए जाने सम्बन्धी विचार के लिए अपात्र हो जाता है, वहां उससे कनिष्ठ व्यक्ति भी ऐसी प्रोन्नित के विचार के लिए अपात्र समझा जायेगा/ समझे जाएंगे।

स्पष्टीकरणः— अन्तिम परन्तुक के अन्तर्गत कनिष्ठ पदधारी प्रोन्नित के लिए अपात्र नहीं समझा जायेगा यिद विरष्ठ अपात्र व्यक्ति भूतपूर्व सैनिक है, जो आपातकाल की अविध के दौरान शसस्त्र बलों में शामिल हुए हैं और जिसे डिमोबिलाइज्ड आर्मेड फोर्सिज परसोनल (रिजर्वेशन आफ वेकैन्सीज इन दी हिमाचल स्टेट नान टैक्निकल सर्विसीज) रूल्ज, 1972 के नियम-3 के उपबंधों के अन्तर्गत भर्ती किया गया है और तदधीन विरयता लाभ दिए गये हों या जिसे एक्स-सर्विस मैन (रिजर्वेशन आफ वेकैन्सीज इन दी हिमाचल प्रदेश टैक्निकल सर्विसीज) रूल्ज, 1985 के नियम 3 के उपबन्धों के अन्तर्गत भर्ती किया गया हो और तदधीन विरयता लाभ दिये गए हों।

(ii) इसी प्रकार स्थायीकरण के सभी मामलों में ऐसे पद पर नियमित नियुक्ति से पूर्व सम्भरक (पोषक) पद पर की गई लगातार तदर्थ सेवा, यदि कोई हो, सेवाकाल के लिए गणना में ली जाएगी, यदि तदर्थ नियुक्ति/प्रोन्नित उचित चयन के पश्चात् और भर्ती और प्रोन्नित नियमों के उपबन्धों के अनुसार की गई थी:

परन्तु की गई तदर्थ सेवा को गणना में लेने के पश्चात् जो स्थायीकरण होगा उसके फलस्वरूप पारस्परिक वरीयता अपरिवर्तित रहेगी।

1 2	यदि विभागीय	जैसी सरकार द्वारा समय-समय पर
	प्रोन्नति स्थाईकरण	
	समिति विद्यमान हो	
	तो उसकी सरंचना :	
13	भर्ती करने में जिन	जैसा विधि द्वारा अपेक्षित हो ।
	परिस्थितयों में	
	हिमाचल प्रदेश लोक	
	सेवा आयोग से	
	परामर्श किया	
	जाएगा :	
14		किसी सेवा या पद पर नियुक्ति के लिए
	अनिवार्य अपेक्षा :	अभ्यर्थी का भारत का नागरिक होना
		अनिवार्य है।
1 5		सीधी भर्ती के मामले में पद पर
	पर नियुक्ति के लिए	
	चयन :	के गुणागुण तथा इन नियमों से संलग्न
		परिशिष्ट-I में यथा विनिर्दिष्ट रीति के
		अनुसार मुल्याकन के आधार पर किया
		जाएगा या यदि, यथास्थिति, हिमाचल
		प्रदेश लोक सेवा आयोग या अन्य भर्ती
		<u>अभिकरण/प्राधिकरण ऐसा</u> करना
		आवश्यक या समीचीन समझे तो
		लिखित परीक्षा के गुणागुण और इन
		नियमों से संलग्न परिशिष्ट-I में यथा
		विनिर्दिष्ट रीति के अनुसार मुल्यांकन
		तथा पूर्व में ली गई छंटनी परीक्षा
		(वस्तुनिष्ठ प्रकार की) या व्यवहारिक परीक्षा या दक्षता परीक्षा या शारिरिक
		परीक्षण के आधार पर किया जाएगा
		जिसका स्तर/ <u>पाठ्यकम्</u> आदि,
		यथास्थिति, हिमाचल प्रदेश लोक सेवा
		आयोग / अन्य भर्ती
		अभिकरण/प्राधिकरण द्वारा अवधारित
		किया जाएगा।

15-क संविदा नियुक्ति, द्वारा पद पर नियुक्ति के लिए चयन :

इन नियमों में किसी बात के होते हुए भी पद पर संविदा नियुक्तियाँ नीचे दिए गए निबन्धनों और शर्तों के अध्यधीन की जाएंगी:-

## (I) संकल्पनाः

(क) इस पालिसी के अधीन हिमाचल प्रदेश अग्निशमन सेवाएं विभाग में उप-अग्निशमन अधिकारी को संविदा के आधार पर प्रारम्भ में एक वर्ष के लिए लगाया जाएगा, जिसे वर्षानुवर्ष आधार पर बढ़ाया जा सकेगा:

परन्तु संविदा अवधि में वर्षानुवर्ष आधार पर विस्तारण/ नवीकरण के लिए सम्बद्ध विभागाध्यक्ष यह प्रमाण-पत्र जारी करेगा कि संविदा पर नियुक्त व्यक्ति की सेवा और आचरण वर्ष के दौरान संतोषजनक रहा है और केवल तभी उसकी संविदा की अवधि नवीकृत/ विस्तारित की जाएगी।

- (ख) पद का हिमाचल प्रदेश कर्मचारी चयन आयोग के कार्यक्षेत्र में आना निदेशक, अग्निशमन सेवाएं हिमाचल प्रदेश रिक्त पदों को संविदा के आधार पर भरने के लिए सरकार का अनुमोदन प्राप्त करने के पश्चात अध्यपेक्षा को सम्बद्ध भर्ती अभिकरण अर्थात् हिमाचल प्रदेश कर्मचारी चयन आयोग, हमीरपुर के समक्ष रखेगा ।
- (ग) चयन इन नियमों में विहित पात्रता शर्तों के अनुसार किया जाएगा।

## (II) संविदात्मक उपलब्ध्यां :

संविदा के आधार पर नियुक्त उप-अग्निशमन अधिकारी को 13900/— रूपए की दर से समेकित नियत संविदात्मक रकम (जो पे वैंड के न्यूनतम जमा ग्रेड पे के बराबर होगी) प्रतिमास संदत्त की जाएगी । यदि संविदा में एक वर्ष से अधिक की बढ़ौतरी की जाती है तो पश्चात्वर्ती वर्ष (वर्षों), के लिए संविदात्मक उपलिधयों में 417/— रूपए की रकम (पद के पे बैंड के न्यूनतम जमा ग्रेड पे का तीन प्रतिशत) वार्षिक वृद्धि के रूप में अनुज्ञात की जाएगी ।

## (III) नियुक्ति/ अनुशासन प्राधिकारी :

निदेशक, अग्निशमन सेवाएं, हिमाचल प्रदेश नियुक्ति और अनुशासन प्राधिकारी होगा।

(IV) चयन प्रक्रिया :

संविदा नियुक्ति के मामले में पद पर नियुक्ति के लिए चयन, लिखित परीक्षा के गुणागुण तथा इन नियमों से संलग्न परिशिष्ट-I में यथा विनिर्दिष्ट रीति के अनुसार मुल्याकन के आधार पर किया जाएगा या यदि, ऐसा करना आवश्यक या समीचीन समझे तो लिखित परीक्षा के गुणागुण तथा इन नियमों से संलग्न परिशिष्ट-I में यथा विनिर्दिष्ट रीति के अनुसार मुल्याकन तथा पूर्व में ली गई छंटनी परीक्षा (वस्तुनिष्ट प्रकार की)/लिखित परीक्षा या व्यावहारिक परीक्षा या दक्षता परीक्षा या शारीरिक परीक्षण के आधार पर किया जाएगा, जिसका स्तर/पाठ्यकम आदि, हिमाचल प्रदेश कर्मचारी चयन आयोग, हमीरपुर द्वारा अवधारित किया जाएगा।

## (V) संविदात्मक नियुक्तियों के लिए चयन समिति :

जैसी सम्बद्ध भर्ती अभिकरण अर्थात् हिमाचल प्रदेश कर्मचारी चयन आयोग, हमीरपुर द्वारा समय-समय पर गठित की जाए।

### (VI) करार :

अभ्यर्थी को चयन के पश्चात् इन नियमों से संलग्न परिशिष्ट-"II" के अनुसार करार हस्ताक्षरित करना होगा ।

## (VII) निबन्धन और शर्ते :

- (क) संविदा के आधार पर नियुक्त व्यक्ति को 13900/-रूपए की दर से समेकित नियत संविदात्मक रकम (जो पे बैण्ड के न्यूनतम जमा ग्रेड पे के बराबर होगी) प्रतिमास संदत्त की जाएगी । संविदा पर नियुक्त व्यक्ति आगे बढ़ाए गए वर्ष/वर्षों के लिए संविदात्मक रकम में 417/-रूपए (पद के पे बैण्ड का न्यूनतम जमा ग्रेड पे का तीन प्रतिशत ) की रकम की वार्षिक वृद्धि का हकदार होगा और अन्य कोई सहबद्ध प्रसुविधाएं, जैसे विरष्ठ/चयन वेतनमान आदि नहीं दिया जाएगा ।
- (ख) संविदा पर नियुक्त व्यक्ति की सेवा पूर्णतया अस्थायी आधार पर होगी । यदि संविदा पर नियुक्त व्यक्ति का कार्यपालन/आचरण ठीक नहीं पाया जाता है तो नियुक्ति पर्यवसित (समाप्त) किए जाने के लिए दायी होगी। यदि संविदा पर नियुक्त व्यक्ति प्राधिकारी द्वारा जारी पर्यवसान (समापन) आदेश से संतुष्ट नहीं है तो वह उस तारीख, जिसको पर्यवसान (समापन) आदेश की प्रति उसे परिदत्त की गई है, से पैंतालीस दिन के भीतर अपील

प्राधिकारी, जो नियुक्ति प्राधिकारी से उच्चतर पंक्ति का होगा, को अपील कर सकेगा।

(ग) संविदा पर नियुक्त व्यक्ति, एक कलैन्डर वर्ष में, एक मास की सेवा पूरी करने के पश्चात् एक दिन के आकस्मिक अवकाश, 10 दिन के चिकित्सा अवकाश और पाँच दिन के विशेष अवकाश का हकदार होगा/होगी । संविदा पर नियुक्त महिला को दो जीवित बच्चों तक एक सौ अस्सी दिन का प्रसूति अवकाश दिया जा सकेगा। संविदा पर नियुक्त महिला कर्मचारी पूरी सेवा के दौरान गर्भपात हो जाने सहित गर्भपात कराने की दशा में, प्राधिकृत सरकारी चिकित्सा अधिकारी द्वारा जारी चिकित्सा प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करने पर पैंतालीस दिन से अनधिक प्रसुति अवकाश (जीवित बच्चों की संख्या का विचार किये बिना) के लिये भी हकदार होगी। संविदा पर नियुक्त कर्मचारी चिकित्सा प्रतिपूर्ति और एल.टी.सी. आदि के लिए हकदार नहीं होगा/होगी । संविदा पर नियुक्त व्यक्ति को उपरोक्त के सिवाय किसी अन्य प्रकार का कोई अवकाश अनुज्ञात नहीं होगा:

अनुपभुक्त आकश्मिक अवकाश, चिकित्सा अवकाश और विशेष अवकाश एक कलेण्डर वर्ष तक संचित किया जा सकेगा और आगामी कलैण्डर वर्ष के लिए अग्रनीत नहीं किया जाएगा ।

(घ) नियंत्रक अधिकारी के अनुमोदन के बिना कर्तव्य से अनिधकृत अनुपिस्थित से स्वतः ही संविदा का पर्यवसान (समापन) हो जाएगा तथापि आपवादिक मामलों में जहाँ पर चिकित्सा आधार पर कर्तव्य (डयूटि) से अनिधकृत अनुपिस्थित के हालात संविदा पर नियुक्त व्याक्ति के नियंत्रण से बाहर हो तो उसकी नियमितिकरण के मामले में विचार करते समय ऐसी अविध अपवर्जित नहीं की जाएगी, किंतु पदधारी को इस वावत समय पर नियन्त्रण अधिकारी को सूचित करना होगा। तथापि संविदा पर नियुक्त व्याक्ति कर्तव्य से अनुपिस्थित की ऐसी अविध के लिये संविदात्मक रकम का हकदार नहीं होगाः

परन्तु उसे सरकार के प्रचलित अनुदेशों के अनुसार, चिकित्सा अधिकारी द्वारा जारी किये गये बिमारी/आरोग्य प्रमाण–पत्र को प्रस्तुत करना होगा।

- (इ.) संविदा पर नियुक्त पदधारी जिसने तैनाती के एक स्थान पर तीन वर्ष का कार्यकाल पूर्ण कर लिया है, आवश्यकता के आधार पर स्थानान्तरण के लिये पात्र होगा, जहां भी प्रशासनिक आधारों पर अपेक्षित हो।
- चयनित अभ्यर्थी को राजपत्रित सरकारी कर्मचारी की दशा में, चिकित्सा बोर्ड द्वारा और अराजपत्रित सरकारी कर्मचारी की दशा में सरकारी चिकित्सा अधिकारी द्वारा जारी अपना प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करना होगा । उन महिला अभयर्थियों की दशा में, जिन्हें परिसंकटमय स्वरुप के कर्तव्यों को कार्यान्वित करने वाले पदो के विरुद्ध नियुक्त किया जाना है और यदि उन्हें प्रशिक्षण की अवधि को सेवा-शर्त के रूप में पूर्ण करना है तो ऐसी महिला अभ्यर्थी, जो परीक्षण के परिणामस्वरूप सप्ताह या इससे अधिक समय से गर्भवती पाई जाती है, को अस्थाई रूप से अनुपयुक्त घोषित किया जाएगा और उसकी नियुक्ति को तब तक आस्थगित रखा जाएगा जब तक कि प्रसवावस्था समाप्त नहीं हो जाती है। ऐसी महिला अभ्यर्थी का प्रसवावस्था की तारीख से छः सप्ताह के पश्चात् चिकित्सा उपयुक्तता के लिये पुनः परीक्षण किया जाएगा और यदि वह उपरोक्त यथाविनिर्दिष्ट प्राधिकारी से आरोग्य प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करने पर उपयुक्त पाई जाती है तो वह उसके लिये आरक्षित रखे गये पद पर नियुक्त की जा सकेगी।
- (छ) संविदा पर नियुक्त व्यक्ति का यदि अपने पदीय कर्त्तव्यों के सम्बन्ध में दौरे पर जाना अपेक्षित हो, तो वह उसी दर पर, जैसी कि नियमित प्रतिस्थानी पदधारी को वेतनमान के न्यूनतम पर लागू है, यात्रा भत्ते/ दैनिक भत्ते का हकदार होगा/होगी।
- (ज) नियमित कर्मचारियों की दशा में यथा लागू सेवा नियमों जैसे कि एफ.आर., एस.आर., छुटी नियम, साधारण भविष्य निधि नियम, पेन्शन नियम तथा आचरण नियम आदि के उपबन्ध संविदा पर नियुक्त व्यक्तियों की दशा में लागू नहीं होंगे। संविदा पर नियुक्त व्यक्तियों को कर्मचारी सामूहिक बीमा स्कीम के साथ-साथ ई0पी0एफ0 / जी0पी0एफ0 भी लागू नहीं होगा।

16	आरक्षण :	सेवा में नियुक्ति, हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा समय समय पर अनुसूचित जातियों/ अनुसूचित जनजातियों/ अन्य पिछड़े वर्गों और व्यक्तियों के अन्य प्रवर्गों के लिए सेवा में आरक्षण की बाबत जारी किए गये आदेशों के अधीन होगी।
1 7	विभागीय परीक्षा :	लागू नहीं।
18	शिथिल करने की शक्ति :	जहां राज्य सरकार की यह राय हो कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है वहां वह कारणों को लिखित में अभिलिखित करके और हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग के परामर्श से, आदेश द्वारा, इन नियमों के किन्ही उपबन्ध (उपबन्धों) को, किसी वर्ग या व्यक्ति (व्यक्तियों) के प्रवर्ग या पद (पदों) की बाबत शिथिल कर सकेगी।

## परिशिष्ट–I

	लिखित परीक्षा	
1.	{लिखित परीक्षा में प्राप्ताकों की प्रतिशतता ८५ अंको में से परिकलित की जानी है। उदाहरणार्थ, लिखित परीक्षा में ५० प्रतिशत अंक प्राप्त करने वाले अभ्यर्थी को ४२.५ अंक दिए जाएगें}।	85 अंक
2.	अभ्यर्थी का मूल्यांकन निम्नलिखित रीति में किया जाना है:- i) भर्ती और प्रोन्नित नियमों में विहित न्यूनतम शैक्षिक अर्हता हेतु वरीयता। = 2.5 अंक {शैक्षिक अर्हता में प्राप्ताकों की प्रतिशतता 0.025 से गुणा की जाएगी। उदाहरणार्थ, किसी व्यष्टि ने अपेक्षित शैक्षिक अर्हता में 50 प्रतिशत अंक प्राप्त किए हैं, जो उसे 1.25 अंक (50 x 0.025 = 1.25) अनुज्ञात किए जाएगों } । ii) यथास्थित, अधिसूचित पिछड़े क्षेत्र व पंचायत से सम्बन्धित । = 01 अंक iii) भूमिहीन कटुम्ब/एक हेक्टेयर से कम भूमि वाले कटुम्ब एक हेक्टेयर से कम भूमि वाले कटुम्ब को सम्बद्ध राजस्य प्राधिकारी द्वारा प्रमाणित किया जाएगा। = 01 अंक iv) इस प्रभाव का गैर-नियोजन प्रमाण-पत्र कि कटुम्ब का कोई भी सदस्य सरकारी/अर्ध-सरकारी सेवा में नहीं है। = 01 अंक vi) एन.एस.एस. (कम से कम एक वर्ष) एन.सी.सी. में प्रमाण-पत्र धारक/भारत स्काउट और गाईड/राष्ट्रीय स्तर की खेल स्पर्धाओं में पदक विजेता। = 01 अंक vi) एन.एस.एस. (कम से कम एक वर्ष) एन.सी.सी. में प्रमाण-पत्र धारक/भारत स्काउट और गाईड/राष्ट्रीय स्तर की खेल स्पर्धाओं में पदक विजेता। = 01 अंक vii) सरकार द्वारा समय समय पर यथाविहित 40,000/- रुपये से कम (समस्त स्त्रोंतों से ) वार्षिक आय वाला बी.पी.एल कुटुम्ब । = 02 अंक viii) विधवा/ तलाकशुदा/ अर्कचन/एकल महिला । = 01 अंक ix) इकलौती पुत्री / अनाथ । = 01 अंक x) किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय/ संस्था से आवेदित पद से सम्बन्धित कम से कम छह मास की अविध का प्रशिक्षण । = 01 अंक पर सम्बन्धित कम से कम छह मास की अविध का प्रशिक्षण । = 01 अंक पर सम्बन्धित कम से कम छह मास की अविध का प्रशिक्षण । = 01 अंक xi) सरकारी/अर्धसरकारी संगठन में, आवेदित पद से सम्बन्धित पूर्ण किय गए वर्ष के लिए 0.5 अंक) = 2.5 अंक	15 अंक

#### परिशिष्ट-II

उप अग्निशमन अधिकारी और हिमाचल प्रदेश सरकार के मध्य निदेशक, अग्निशमन सेवाएं हिमाचल प्रदेश के माध्यम से निष्पादित की जाने वाली संविदा /करार का प्ररूप

यह करार श्री/ श्रीमती ——————पुत्र/पुत्री श्री——— निवासी————— संविदा पर नियुक्त व्यक्ति (जिसे इसमें इसके पश्चात प्रथम पक्षकार कहा गया है) और हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल के मध्य निदेशक, अग्निशमन सेवाएं हिमाचल प्रदेश (जिसे इसमें इसके पश्चात द्वितीय पक्षकार कहा गया है) के माध्यम से आज तारीख ————— को किया गया।

द्वितीय पक्षकार ने उपरोक्त प्रथम पक्षकार को लगाया है और प्रथम पक्षकार ने उप अग्निशमन अधिकारी के रूप में संविदा के आधार पर निम्निलिखित निबन्धन और शर्तों पर सेवा करने के लिए सहमित दी है :
1. यह कि प्रथम पक्षकार उप अग्निशमन अधिकारी के रूप में -----से प्रारम्भ होने और ----- को समाप्त होने वाले दिन तक, एक वर्ष की अवधि के लिए द्वितीय पक्षकार की सेवा में रहेगा । यह विनिर्दिष्ट रूप से उल्लिखित किया गया है और दोनों पक्षकारों द्वारा करार पाया गया है कि प्रथम पक्षकार की द्वितीय पक्षकार के साथ संविदा, आखिरी कार्य दिवस अर्थात् ----- को स्वयंमेव ही पर्यवसित (समाप्त) हो जाएगी तथा सूचना नोटिस आवश्यक नहीं होगा :

परन्तु संविदा अविध में वर्षानुवर्ष आधार पर विस्तारण / नवीकरण के लिए सम्बंध विभागाध्यक्ष यह प्रमाण पत्र जारी करेगा कि संविदा पर नियुक्त व्यक्ति की सेवा और आचरण वर्ष के दौरान संतोशजनक रहा है और केवल तभी उसकी संविदा की अविध को नवीकृत/विस्तारित की जाएगी।

2. प्रथम पक्षकार की संविदात्मक रकम 13900/- रूपए प्रतिमास होगी ।

- 3. प्रथम पक्षकार की सेवा पूर्णतया अस्थायी आधार पर होगी । यदि संविदा पर नियुक्त व्यक्ति का कार्यपालन/आचरण ठीक नहीं पाया जाता है तो नियुक्ति पर्यवसित (समाप्त) की जाने के लिये दायी होगी। यदि संविदा पर नियुक्त व्यक्ति नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा जारी पर्यवसान (समापन) आदेश से संतुष्ट नहीं है तो वह उस तारीख, जिसको पर्यवसान (समापन) आदेश की प्रति उसे परिदत्त की गई है, से पैंतालीस दिन के भीतर अपील प्राधिकारी, जो नियुक्ति प्राधिकारी से उच्चतर पंक्ति का होगा, को अपील कर सकेगा।
- 4. संविदा पर नियुक्त व्यक्ति, एक कलैन्डर वर्ष में, एक मास की सेवा पूरी करने के पश्चात् एक दिन के आकिस्मक अवकाश, 10 दिन के चिकित्सा अवकाश और पाँच दिन के विशेष अवकाश का हकदार होगा/होगी । संविदा पर नियुक्त महिला को दो जीवित बच्चों तक एक सौ अस्सी दिन का प्रसूति अवकाश दिया जा सकेगा। संविदा पर नियुक्त महिला पूरी सेवा के दौरान, गर्भपात हो जाने सहित गर्भपात कराने की दशा में, प्राधिकृत सरकारी चिकित्सा अधिकारी द्वारा जारी चिकित्सा प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करने पर पैंतालीस दिन से अनिधक प्रसुति अवकाश (जीवित बच्चों की संख्या का विचार किये बिना) के लिये भी हकदार होगी। संविदा पर नियुक्त कर्मचारी चिकित्सा प्रतिपूर्ति और एल. टी.सी. आदि के लिए हकदार नहीं होगा/होगी । संविदा पर नियुक्त व्यक्ति को उपरोक्त के सिवाय किसी अन्य प्रकार का कोई अवकाश अनुज्ञात नहीं होगा:

अनुपभुक्त आकस्मिक अवकाश, चिकित्सा अवकाश और विशेष अवकाश एक कलैण्डर वर्ष तक संचित किया जा सकेगा और आगामी कलैण्डर वर्ष के लिए अग्रनीत नहीं किया जाएगा ।

5. नियंत्रक प्राधिकारी के अनुमोदन के बिना कर्तव्य (ड्यूटि) से अनिधकृत अनुपर्श्यित से स्वतः ही संविदा का पर्यवसान (समापन) हो जाएगा तथापि आपवादिक मामलों में जहाँ पर चिकित्सा आधार पर कर्तव्य से अनिधकृत अनुपर्श्यित के हालात संविदा पर नियुक्त व्यक्ति के नियंत्रण से बाहर हो तो उसके नियमितिकरण के मामले में विचार करते समय ऐसी अवधि अपवर्जित नहीं की जाएगी, किंतु पदधारी को इस वावत समय पर नियन्त्रण प्राधिकारी को सूचित करना होगा। तथापि संविदा पर नियुक्त व्यक्ति कर्तव्य से अनुपर्श्यित की ऐसी अवधि के लिये संविदात्मक रकम का हकदार नहीं होगाः

परन्तु उसे सरकार के प्रचलित अनुदेशों के अनुसार, चिकित्सा अधिकारी द्वारा जारी किये गये बिमारी/आरोग्य प्रमाण-पत्र को प्रस्तुत करना होगा।

- 6. संविदा के आधार पर नियुक्त व्यक्ति जिसने तैनाती के स्थान पर तीन वर्ष का कार्यकाल पूर्ण कर लिया हो, आवश्यकता के आधार पर स्थानान्तरण हेतु पात्र होगा/होगी। जहां भी प्रशासनिक आधारों पर अपेक्षित हो।
- 7. चयनित अभ्यर्थी को राजपत्रित सरकारी कर्मचारी की दशा में चिकित्सा बोर्ड और अराजपत्रित सरकारी कर्मचारी की दशा में चिकित्सा अधिकारी द्वारा जारी अपना चिकित्सा आरोग्य प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करना होगा । उन महिला अभयर्थियों की दशा में, जिन्हें परिसंकटमय स्वरुप के कर्तव्यों को कार्यान्वित करने वाले पदों के विरुद्ध नियुक्त किया जाना है और यदि उन्हें प्रशिक्षण की अवधि को सेवा-शर्त के रूप में पूर्ण करना है तो ऐसी महिला अभ्यर्थी, जो परीक्षण के परिणामस्वरुप बारह सप्ताह या इससे अधिक समय से गर्भवती पाई जाती है, को अस्थाई अनुपयुक्त घोषित किया जाएगा और उसकी नियुक्ति को आस्थिगत रखा जाएगा जब तक कि प्रसवावस्था समाप्त नहीं हो जाती ऐसी महिला अभ्यर्थी का प्रसवावस्था की तारीख के छः सप्ताह के पश्चात् चिकित्सा उपयुक्तता के लिये पुतः परीक्षण किया जाएगा और यदि वह उपरोक्त यथाविनिर्दिष्ट प्राधिकारी से आरोग्य प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करने पर उपयुक्त पाई जाती है तो वह उसके लिये आरक्षित रखे गये पद पर नियुक्त की जा सकेगी।
- 8. संविदा पर नियुक्त व्यक्ति का यदि अपने पदीय कर्त्तव्यों के सम्बन्ध में दौरे पर जाना अपेक्षित हो, तो वह उसी दर पर, जैसी कि नियमित प्रतिस्थानी पदधारी को पद के वेतनमान के न्यूनतम पर लागू है, यात्रा भत्ते/ दैनिक भत्ते का हकदार होगा/होगी।
- 9. संविदा पर नियुक्त व्याक्ति (व्याक्तियों) को कर्मचारी सामूहिक बीमा स्कीम के साथ–साथ ई०पी०एफ० / जी०पी०एफ० भी लागू नहीं होगा।

इसके साक्ष्यस्वरूप प्रथम पक्षकार और द्वितीय पक्षकार ने साक्षियों की उपस्थिति में इसमें सर्वप्रथम उल्लिखित तारीख को अपने-अपने हस्ताक्षर कर दिए हैं।

साक्षियों की उपस्थिति में: 1 नाम पता	
2 नाम पता	(प्रथम पक्षकार के हस्ताक्षर)
साक्षियों की उपस्थिति में : 1 नाम पता	
2 नाम पता	(द्वितीय पक्षकार के हस्ताक्षर)

(Authoritative English text of this d epartment's Notification No. Home-B(B)3-4/95-II dated 16-09-2019 as required under Clause (3) of article 348 of the Constitution of India.)

Government of Himachal Pradesh Department of Home Dated Shimla-2 the

No. Home-B(B)3-4/95-II

16-09-2019

#### **NOTIFICATION**

In exercise of the powers conferred by proviso to article 309 of the Constitution of India, the Governor, Himachal Pradesh, in consultation with the Himachal Pradesh Public Service Commission, is pleased to make the Recruitment and Promotion Rules for the post of Sub Fire Officer, Class-III (Non-Gazetted)Non Ministerial in the Department of Fire services, Himachal Pradesh, as per Annexure –"A" attached to this notification, namely:-

Short title and commencement. 1	i)These Rules may be called the Himachal Pradesh, Fire Services Department, Sub Fire Officer, Class-III (Non-Gazetted) Non-Ministerial Recruitment and Promotion Rules, 2019.
	ii)These Rules shall come into force from the date of publication in the Rajpatra(e-Gazette), Himachal Pradesh.
Repeal & Savings. 2	i)The Himachal Pradesh Fire Services Department, Sub Fire Officer (Class-III, Non-Gazetted) Recruitment and Promotion Rules 2002, notified vide notification No. Home-B(B)3-4/95 dated 20.09.2002 as amended from time to time are hereby repealed.
	ii) Notwithstanding such repeal, any appointment made or anything done or any action taken under the relevant rules so repealed under Rule 2 (i) supra shall be deemed to have been validly made, done or taken under these rules.

By Order

Sd/Addl. Chief Secretary(Home) to the Government of Himachal Pradesh.

No. Home-B(B)3-4/95-II Dated Shimla-2, the Copy forwarded to:-

16-09-2019

- 1. All the Administrative Secretaries to the Government of Himachal Pradesh.
- 2. The Additional LR-cum-Additional Secretary(Law) to the Government of Himachal Pradesh, Shimla-2
- 3. The Secretary, Himachal Pradesh Public Service Commission, Shimla-2 along with 2 spare copies.
- 4. The Director Fire Services, Himachal Pradesh, Shimla-1 for information and necessary action with 5 spare copies.
- 5. The Controller, Printing & Stationery, Himachal Pradesh, Shimla-5
- 6. Guard file.

Sd/-(Rakesh Sharma), Spl.. Secretary(Home) to the Government of Himachal Pradesh Telephone No.2880775

\*\*\*

#### Annexure- "A"

# RECRUITMENT AND PROMOTION RULES FOR THE POST OF SUB FIRE OFFICER CLASS-III (NON -GAZETTED) IN THE DEPARTMENT OF FIRE SERVICES, HIMACHAL PRADESH.

1.	Name of the post:	Sub Fire Officer.
2.	Number of post:	32 (Thirty Two)
3.	Classification:	Class-III(Non Gazetted) Non Ministerial
4.	Scale of pay:	<ul> <li>i) Pay Band for regular incumbents:         Rs. 10300-34800+3600 Grade Pay.     </li> <li>ii) Emoluments for Contract employees:         Rs. 13900/- P.M. as per details given in Column No.15-A.     </li> </ul>
5.	Whether "Selection" post or "non-selection" post:	Non Selection.
6.	Age for direct recruitment:	Between 18 and 45 years:

Provided that the upper age limit for direct recruits will not be applicable to the candidates already in service of the Government including those who have been appointed on ad-hoc or on contract basis:

Provided further that if a candidate appointed on ad-hoc basis or on contract basis had become over-age on the date he/she was appointed as such he/she shall not be eligible for any relaxation in the prescribed age limit by virtue of his/her such adhoc or contract appointment:

Provided further that upper age-limit is relaxable for scheduled Castes/Scheduled Tribes/ Other Backward Classes and Other categories of persons to the extent permissible under the general or special order(s) of the Himachal Pradesh Government:

Provided further that the employees of all the Public Sector Corporations and Autonomous Bodies who happened to be Government Servants before absorption in Public Sector/Corporations/Autonomous Bodies at the time of initial constitution of such Corporations/Autonomous Bodies shall be allowed, age concession in direct recruitment as admissible to Government servants. This concession will not, however, be admissible to such staff of the Public Sector Corporations / Autonomous Bodies who were/are subsequently appointed by such Corporations/Autonomous Bodies and who are/were finally absorbed in the service of such Corporations/Autonomous after initial constitution of the Public Sector Corporations/Autonomous Bodies.

**Note:-** Age limit for direct recruitment will be reckoned on the first day of the year in which the post(s) is/are advertised for inviting applications or notified to the Employment Exchanges or as the case may be.

7.	Minimum Educational and	(a) ESSENTIAL QUALIFICATIONS
	other qualifications required for direct recruit(s):	(i)Graduate in Science or B.E. Degree in any trade from a recognized University.
	ioi direct recruit(s).	(After selection the candidate will undergo
		the Basic Fire Fighting Course from the
		State Fire Training Centre followed by Sub-
		Fire Officer Course from the National Fire
		Services College, Nagpur).
		(ii) Minimum Physical Standard:
		Height-165 cms.
		Chest-80 cms (with expansion upto85cms)
		Weight-52 kg.
		Eyesight-6/6 without glasses.
		(iii) Physical efficiency:-
		a. 100 meters race in 15 seconds.
		b. High Jump 120 Cms.
		c. Broad jump 3 meters 60 Cms.
		d. 800 meters race in 3 Minutes.
		(b) Desirable qualification(s):  Knowledge of customs, manner
		and dialects of Himachal Pradesh and
		suitability for appointment in the
		peculiar conditions prevailing in the
		Pradesh
8	Whether age and educational	Age: Not applicable
	qualification (s) prescribed for	Educational qualification: Yes, as
	direct recruit(s) will apply in	prescribed against Column No.11 below.
	the case of the promotee(s):	

9.	Period of probation, if any:	i)Direct Recruitment:
		(a) Two years subject to such further extension for a period not exceeding one year as may be ordered by the competent authority in special circumstances and reasons to be recorded in writing.
		(b) No probation in the case of appointment on contract basis, tenure basis, re- employment after superannuation and absorption.
		ii) Promotion:No probation
10.	Method(s) of recruitment, whether by direct recruitment or by promotion/secondment/ transfer and the percentage of post(s) to be filled in by various methods:	<ul><li>(i) 75% By promotion; and</li><li>(ii) 25% by direct recruitment on regular basis or by recruitment on contract basis, as the case may be.</li></ul>
11	In case of recruitment by promotin/secondment/ transfer, grade for which promotion/secondment/transfer in to be made:	By promotion from amongst the leading Firemen who have qualified the Sub Fire Officer Course form the National Fire Service College, Nagpur with 03 years regular service or regular combined with continuous adhoc service, if any, in the grade: Provided that for filling up the posts of Sub Fire Officer the following 04 points post based roster shall be followed:-  Roster Point No(s) Category  1st, 2nd 3rd Promotee  4th Direct Recruit  Note: The roster will be repeated after every 4th point till the representation to all the categories is achieved upto the prescribed percentage. Thereafter the post is to be filled up from the category which vacates the post.

(1) Provided that for the purpose of promotion every employee shall have to serve atleast one term in the Tribal/Difficult/Hard areas and remote/rural areas subject to adequate number of posts (s) available in such areas:

Provided further that the proviso (1) supra shall not be applicable in the case of those employees who have five years or less service, left for superannuation, except posting/ transfer in remote/ rural area. However, this condition of five years shall not be applicable in cases of promotion:

Provided further that Officers/ Officials who have not served atleast one tenure in Tribal / Difficult / Hard areas and remote /Rural areas shall be transferred to such area strictly in accordance with his /her seniority in the respective cadre.

**Explanation I:-** For the purpose of proviso (1) supra the "term" in Tribal/ Difficult /Hard areas/ remote /rural areas shall mean normally three years or less period of posting in such areas keeping in view the administrative exigencies / convenience.

**Explanation II**: For the purpose of proviso (1) supra the Tribal / Difficult Areas shall be as under:-

- 1. District Lahaul&Spiti.
- 2. Pangi and Bharmour Sub Division of Chamba District.
- 3. Dodra kawar Area of Rohru Sub-Division.
- 4. Pandrah Bis Pargana, Munish Darkali and Gram Panchyat Kashpat, Gram Panchyats of Rampur Teshil of District Shimla.
- 5. Pandrah Bis Pargana of Kullu District.
- 6. Bara Bhangal Areas Baijnath Sub Division of Kangra District.
- 7. District Kinnaur.
- 8. Kathwar and Korga Patwar Circles of Kamrau Sub Tehsil, Bhaladh Bhalona and Sangna Patwar Circles of Renukaji Tehsil and Kota Pub Patwar Circle of Shilai Tehsil, in Sirmour District.
- 9. Khanyol-Bagra Patwar Circle of Karsog Tehsil, Gada-Gussaini, Mathyani, Ghanyar, Thachi, Baggi, Somgad and Kholanal of Bali-Chowki Sub Tehsil, Jharwar, Kutgarh, Graman, Devgarh, Trailla, Ropa, Kathog, Silh-Badhwani, Hastpur, Ghamrehar and Bhatehar Patwal Circle of Padhar Tehsil, Chiuni, Kalipar, Mangarh, Thach-Bagra, North Magru and South Margu Patwar Circles of Thunag Tehsil and Batwara Patwar Circle of Sunder Nagar Tehsil in Mandi District.

**Explanation III:-** For the purpose of Proviso (I) supra the Remote/Rural Areas shall be as under:-

- (1) All stations beyond the radius of 20 Kms. from Sub Division/Tehsil Headquarter.
- (2) All stations beyond the radius of 15 Kms. from State Headquarter and District Headquarters where bus service is not available and on foot journey is more than 3(three) Kms.
- (3) Home town or area adjoining to area at home town within the radius of 20Kms. of the employee regardless of its category.
- (II) In all cases of promotion , the continuous adhoc service rendered in the feeder post if any, prior to regular appointment to the post shall be taken into account towards the length of service as prescribed in these rules for promotion subject to the condition that the adhoc appointment / promotion in the feeder category had been made after following proper acceptable process of selection in accordance with the provisions of R &P Rules:
  - (i) Provided that in all cases where a junior person becomes eligible for consideration by virtue of his total length of service (including the service rendered on adhoc basis followed by regular service/ appointment) in the feeder post in view of the provisions referred to above, all persons senior to him/her in the respective category/post /cadre shall be deemed to be eligible for consideration and placed above the junior person in the field of consideration:

Provided that all incumbents to be considered for promotion shall posses the minimum qualifying service of at least three years or that prescribed in the Recruitment & Promotion Rules for the post, whichever is less:

Provided further that where a person becomes ineligible to be considered for promotion on account of the requirements of the preceding proviso, the person(s) junior to him shall also be deemed to be ineligible for consideration for such promotion.

Explanation:- The last proviso shall not render the junior incumbents ineligible for consideration for promotion if the senior ineligible persons happened to be Ex-servicemen who have joined Armed Force during the period of emergency and recruited under the provisions of Rule-3 of the Demobilized Armed Forces Personnel (Reservation of Vacancies in Himachal State Non-Technical Services) Rules, 1972 and having been given the benefit of seniority thereunder or recruited under the provisions of

	Rule-3 of the Ex-servicemen (Reservation of vacancies in the Himachal Pradesh Technical Service) Rules, 1985 and having been given the benefit of seniority thereunder.  (ii) Similarly, in all cases of confirmation, continuous adhoc service rendered in the feeder post, if any, prior to the regular appointment against such posts shall be taken into account towards the length of service, if the adhoc appointment /promotion has been made after proper selection and in accordance with the provision of the Recruitment & Promotion Rules:  Provided that inter-se-seniority as a result of confirmation after taking into account, adhoc service rendered shall remain unchanged.	
12.	If a Departmental Promotion/Confirmation Committee exists, what is its composition ?	As may be constituted by the Govt. from time to time.
13.	Circumstances under which the H.P.Public Service Commission (H.P.P.S.C.) is to be consulted in making Recruitment:	As required under the Law.
14.	Essential requirement For a direct recruitment.	A candidate for appointment to any service or post must be a Citizen of India.
15.	Selection for appointment to the post by direct recruitment:	Selection for appointment to the post in the case of direct recruitment shall be made on the basis of merit of written examination followed by evaluation as specified in Appendix-I appended to these Rules, or if the Himachal Pradesh Public Service Commission or other recruiting agency /authority, as the case may be, so considers necessary of expedient on the basis of merit of written examination followed by evaluation as specified in Appendix-I appended to these Rules, preceded by a screening test (Objective type) or practical test or skill test or physical test, the standard/syllabus, etc. of which, will be determined by the Himachal Pradesh Public Service Commission/ other recruiting agency/authority, as the case may be.

15-A Selection for appointment to the post by contract appointment.

Notwithstanding anything contained in these rules, contract appointments to the post will be made subject to the terms and conditions given below:-

#### (I) CONCEPT:

(a) Under this policy the Sub Fire Officer, in the Department of Fire Services, Himachal Pradesh, will be engaged on contract basis initially for one year, which may be extendable on year to year basis:

Provided that for extension /renewal of contract period on year to year basis the concerned HOD shall issue a certificate that the service and conduct of the contract appointee is satisfactory during the year and only then the period of contract is to be renewed/ extended.

## (b)<u>POST\_FALLS\_WITHIN\_THE\_PURVIEW\_OF</u> <u>HPSSC:</u>

The Director Fire Services, Himachal Pradesh after obtaining the approval of the Government to fill up the vacant post(s) on contract basis will place the requisition with the concerned recruiting agency i.e. Himachal Pradesh Staff Selection Commission, Hamirpur.

(c) The selection will be made in accordance with the eligibility conditions prescribed in these Rules.

## (II) CONTRACTUAL EMOLUMENTS:

The Sub Fire Officer appointed on contract basis will be paid consolidated fixed amount @ Rs.13900/- P.M. (which shall be equal to minimum of the pay band +grade pay). An amount of Rs.417/-(3 % of the minimum of the pay band + grade pay of the post) as annual increase in contractual emoluments for the subsequent year(s) will be allowed if contract is extended beyond one year.

#### (III) APPOINTING/DISCIPLINARY AUTHORITY:

The Director Fire Services, Himachal Pradesh will be appointing and disciplinary authority.

## (IV) <u>SELECTION PROCESS:</u>

Selection for appointment to the post in the case of contract appointment shall be made on the basis of merit of written examination followed by evaluation as specified in Appendix-I to these Rules or if considered necessary or expedient on the basis of merit of written examination followed by evaluation as specified in Appendix-I to these Rules, preceded by a screening test (objective type) or practical test or skill test or physical test, the standard /syllabus, etc. of which, will be determined by the concerned recruiting agency i.e. Himachal Pradesh Staff selection Commission, Hamirpur.

# (V)<u>COMMITTEE</u> FOR <u>SELECTION</u> <u>OF</u> <u>CONTRACTUAL APPOINTMENTS</u>:

As may be constituted by the concerned recruiting agency i.e. the **Himachal Pradesh Staff Selection Commission**, **Hamirpur**, from time to time.

#### (VI) AGREEMENT:

After selection of a candidate, he/she shall sign an agreement as per Appendix-II appended to these Rules.

## (VII) TERMS AND CONDITIONS:

(a)The contractual appointee will be paid consolidated fixed contractual amount @ Rs.13900/- P.M/- (which shall be equal to minimum of the pay band +grade pay). The contract Appointee will be entitled for increase in contractual amunt @ Ros. 417/- ( 3 % of the minimum of pay band + grade pay of the post) for further extended years and no other allied benefits such as junior/selection scales etc, will be given.

- (b) The service of contact appointee will be purely on temporary basis. The Appointment is liable to be terminated in case the performance/conduct of the contract appointee is not found satisfactory. In case the contract appointee is not satisfied with the termination orders issued by the Appointing Authority, he/she may prefer an appeal before the Appellate Authority who shall be higher in rank to the Appointing Authority with in a period of 45 days, from the date on which a copy of termination orders is delivered to him/her.
- (c) The contract appointee will be entitled for one day's casual leave after putting one month service, 10 days medical leave and 5 days special leave, in a calendar year. A female contract appointee with less than two surviving children may be granted maternity leave for 180 days. A female contract appointee shall also be entitled for maternity leave not exceeding 45 days (irrespective of the number of surviving Children) during the entire service, in case of miscarriage including abortion, on production of medical certificate issued by the authorized Government Medical Officer. A contract employee shall not be entitled for Medical Re-imbursement and LTC etc. No leave of any other kind except above is admissible to the contract appointee.

Un-availed casual leave, medical leave and special leave can be accumulated upto the calendar year and will not be carried forward for the next calendar year.

(d) Unauthorized absence from the duty without the approval of the controlling officer shall automatically lead to the termination of the contract. However, in exceptional cases where the circumstances for un-authorized absence from duty were beyond his/her control on medical grounds, such period shall not be excluded while

considering his/her case for regularization but the incumbent shall have to intimate the controlling authority in this regard well in time. However, the contract appointee shall not be entitled for contractual amount for this period of absence from duty:

Provided that he/she shall submit the certificate of illness/fitness issued by the Medical Officer, as per prevailing instructions of the Government.

- (e) An official appointed on contract basis, who has completed three years tenure at one place of posting will be eligible for transfer on need based basis wherever required on administrative grounds.
- (f) Selected candidate will have to submit a certificate of his/her fitness issued by a Medical Board in the case of a Gazetted Government servant and by Government Medical Officer in the case of a Non-Gazetted Government Servant. In case of women candidates who are to appointed against posts carrying hazardous nature of duties, and in case they have to complete a period of training as condition of service such woman candidate, who as a result of tests is found to be pregnant of twelve weeks standing or more shall be unfit and declared temporarily her appointment shall be held in abeyance until the confinement is over . Such Woman candidate be re-examined for medical fitness six weeks after the date confinement, and if she is found fit on production of medical fitness certificate from the authority as specified above, she may be appointed to the post kept reserved for her.
- (g) Contract appointee will be entitled to TA/DA if required to go on tour in connection with his/her official duties at

		the same rate as applicable to regular counterpart officials at the minimum of the pay scale.
		(h) Provisions of service rules like FR SR, Leave Rules, GPF Rules, Pension rules & Conduct rules etc. as are applicable in case of regular employees will not be applicable in case of contract appointees. The Employees Group Insurance Scheme as well as EPF/GPF will also not be applicable to contract appointee(s).
16.	Reservation:	The appointment to the service shall be subject to the orders regarding reservation in the service for Scheduled Castes/ Scheduled Tribes/ Backward classes/other categories of persons issued by the Himachal Pradesh Government from time to time.
17.	Departmental Examination:	Not applicable.
18.	Powers to Relax:	Where the State Govt. is of the opinion that it is necessary or expedient to do so, it may, by order for reasons to be recorded in writing and in consultation with the H.P.Public Service Commission, relax any of the provision(s) of these Rules with respect to any class or category of person(s) or post(s).

\*\*\*\*

WRITTEN EXAMINARION  (Percentage of marks obtained in written examinal culated out of 85 marks. For example, a candidate marks in written examination will be given 42.  Evaluation of candidate to be made in the following weightage for the minimum educational qualification prescribed in the Recruitment & Promotion Rules (Percentage of marks obtained in the educational qualification would be multiplied by 0.025 for example, an individual has secured 50% marks in the required educational qualification, he/she will be allowed 1.25 Marks(50 x 0.025 = 1.25)  (b) Belonging to notified Backward Area or Panchayat, as the case may be  i) Land less family/family having land less than 1 Hectare to be certified by the concerned Revenue Authority  (c) Non-employment Certificate to the effect	e getting 50% 5 marks)	85 Marks 15 Marks
marks in written examination will be given 42.  Evaluation of candidate to be made in the following weightage for the minimum educational qualification prescribed in the Recruitment & Promotion Rules (Percentage of marks obtained in the educational qualification would be multiplied by 0.025 for example, an individual has secured 50% marks in the required educational qualification, he/she will be allowed 1.25 Marks(50 x 0.025 = 1.25)  Belonging to notified Backward Area or Panchayat, as the case may be  Land less family/family having land less than 1 Hectare to be certified by the concerned Revenue Authority  Non-employment Certificate to the effect	e getting 50% 5 marks) ng manner :- 2.5 Marks  01 Mark  01 Mark	
Weightage for the minimum educational qualification prescribed in the Recruitment & Promotion Rules (Percentage of marks obtained in the educational qualification would be multiplied by 0.025 for example, an individual has secured 50% marks in the required educational qualification, he/she will be allowed 1.25 Marks(50 x 0.025= 1.25)  Belonging to notified Backward Area or Panchayat, as the case may be  Land less family/family having land less than 1 Hectare to be certified by the concerned Revenue Authority  Non-employment Certificate to the effect	2.5 Marks  01 Mark  01 Mark	15 Marks
Belonging to notified Backward Area or Panchayat, as the case may be  i) Land less family/family having land less than 1 Hectare to be certified by the concerned Revenue Authority  /) Non-employment Certificate to the effect	01 Mark	
i) Land less family/family having land less than 1 Hectare to be certified by the concerned Revenue Authority  /) Non-employment Certificate to the effect		
Non-employment Certificate to the effect	01 Mark	
that none of the family members in Government/Semi Government service		
Differently abled persons with more than 40% impairment/disability/infirmity	01 Mark	
i) NSS(atleast one year)/certificate holders in NCC/The Bharat Scout and Guide/Medal winner in National level sports competitions	01 Mark	
BPL family having annual income (from all sources) below Rs.40,000/- or as prescribed	02 Marks	
	01 Mark	
Single daughter/Orphan	01 Mark	
to the post applied for from a recognized University/Institution	01Mark	
Experience upto a maximum of 5 years in Government/Semi Government Organization relating to the post applied for (0.5 Marks only for each completed year)	2.5 Marks	
	sources) below Rs.40,000/- or as prescribed by the Government from time to time  iii Widow/divorced/destitute/single woman  ii) Single daughter/Orphan  Training of atleast 6 months duration related to the post applied for from a recognized University/Institution  i) Experience upto a maximum of 5 years in Government/Semi Government Organization relating to the post applied for (0.5 Marks)	ii) BPL family having annual income (from all sources) below Rs.40,000/- or as prescribed by the Government from time to time iii Widow/divorced/destitute/single woman 01 Mark iii Single daughter/Orphan 01 Mark iii Training of atleast 6 months duration related to the post applied for from a recognized University/Institution ii) Experience upto a maximum of 5 years in Government/Semi Government Organization relating to the post applied for (0.5 Marks

#### **APPENDIX-II**

FORM OF CONTRACT/ AGREEMENT TO BE EXECUTED BETWEEN THE SUB FIRE OFFICER AND THE GOVERNMENT OF HIMACHAL PRADESH THROUGH THE DIRECTOR FIRE SERVICES, HIMACHAL PRADESH.

	This	agree	ment	is n	nade	on	this			day	of				In	the
year			Bet	weer	1						.Sh./	Smt			S/c	)/D/o
Shri						R/O.										
					C	ontra	act a	appo	intee	(he	reinaft	er	called	the	"FI	RST
PARTY"	) AN	D THE	E DIR	RECT	OR F	FIRE	SEF	RVIC	ES,	HIM	IACHA	L P	PRADE	ESH,	SHI	MLA
(here-in-a	after tl	he "SE	CONE	D PAI	RTY"	).										

Whereas, the SECOND PARTY has engaged the "FIRST PARTY" aforesaid "FIRST PARTY" and the "FIRST PARTY" has agreed to serve as a SUB FIRE OFFICER on contract basis on the following terms and conditions:-

Provided that for further extension /renewal of contract period the HOD shall issue a certificate that the service and conduct of the contract appointee was satisfactory during the year and only then the period of contract is to be renewed/ extended.

- 2. The contractual amount of the "FIRST PARTY" will be Rs...13,900/- per month.
- 3. The service of contact appointee will be purely on temporary basis. The Appointment is liable to be terminated in case the performance/conduct of the contract appointee is not found satisfactory. In case the contract appointee is not satisfied with the termination orders issued by the Appointing Authority, he/she may prefer an appeal before the Appellate Authority who shall be higher in rank to the Appointing Authority with in a period of 45 days, from the date on which a copy of termination orders is delivered to him/her.
- 4. "The contract appointee will be entitled for one day's casual leave after putting one month's service 10 days' medical leave and 5 days' special leave, in a calendar year. A female contract appointee with less than two surviving children may be granted maternity leave for 180 days. A female contract appointee shall also be entitled for maternity leave not exceeding 45 days' (irrespective of the number of surviving children) during the entire service, in case of miscarriage including abortion, on production of medical certificate issued by the authorized Government Medical Officer. A contract employee shall not be entitled for medical re-imbursement and LTC etc. No leave of any other kind except above is admissible to the contract appointee.

Un-availed casual leave, medical leave and special leave can be accumulated upto the calendar year and will not be carried forward for the next calendar year. "

5. Unauthorized absence from duty without the approval of the controlling officer shall automatically lead to the termination of the contract. However, in exceptional cases where the circumstances for un-authorized absence from duty were beyond his/her control on medical grounds, such period shall not be excluded while considering his/her case for regularization but the incumbent shall have to intimate the controlling authority in this regard well in time. However, the contract appointee shall not be entitled for contractual amount for this period of absence from duty:

Provided that he/she shall submit the certificate of illness/fitness issued by the Medical Officer, as per prevailing instructions of the Government.

- 6. An official appointed on contract basis who have completed Three years tenure at one place of posting will be eligible for transfer on need based basis wherever required on administrative grounds.
- 7. Selected candidate will have to submit a certificate of his/her fitness issued by a Medical Board in case of a Gazetted Government servant and by Government Medical Officer in the case of a Non Gazetted Government servant. In case of women candidates who are to be appointed against posts carrying hazardous nature of duties and in case they have to complete a period of training as a condition of service such woman candidate, who as a result of tests is found to be pregnant of twelve weeks' standing or more shall be declared temporarily unfit and her appointment shall be held in abeyance until the confinement is over. Such woman candidate be re-examined for medical fitness six weeks after the date of confinement, and if she is found fit on production of medical fitness certificate from the authority as specified above, she may be appointed to the post kept reserved for her.
- 8. Contract appointee shall be entitled to TA/DA if required to go on tour in connection with his/her official duties at the same rate as applicable to regular counter-part official at the minimum of pay scale.
- 9. The Employees Group Insurance Scheme as well as EPF/GPF will not be applicable to contractual appointee(s).

IN WITNESS THE FIRST PARTY AND SECOND PARTY have here in to set their hands the day month and year first, above written.

IN THE PRESENCE OF WITNESS:

(Name and full Address)	(Signature of the FIRST PARTY)					
(Name and full Address) 2						
(Name and full Address) IN THE PRESENCE OF WITNESS	(Signature of the SECOND PARTY)					